

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग

एन.डी.सी.सी.-II बिल्डिंग, चौथी मंजिल
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

विषय : सांकेतिक एवं गोरबोली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के संबंध में।

कृपया प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त आईडी सं.पीएमओपीजी/डी/2019/0085284 दिनांक 5/03/2019 एवं महाराष्ट्र सरकार के पत्र सं.एमएलसी-2219/सीआर-36/कॉर्डिनेशन दिनांक 18/03/2019 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करें।


2. प्रधान मंत्री कार्यालय के पत्र के साथ श्री ए.एस.नारायण, दिल्ली का दिनांक 28.02.2019 का पत्र संलग्न किया गया है जिसमें सांकेतिक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

3. महाराष्ट्र सरकार के पत्र के साथ श्री हरिभाउ राठौड़, विधान परिषद सदस्य का दिनांक 12.07.2018 का पत्र संलग्न किया गया है जिसमें गोरबोली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।

4. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने आदि से संबंधी कार्य गृह मंत्रालय के एन.आई अनुभाग द्वारा किया जाता है।

5. अतएव, उपर्युक्त दोनों पत्र, मूल रूप से गृह मंत्रालय के एन.आई अनुभाग को सूचना एवं यथोचित कार्रवाई हेतु संलग्न किए जाते हैं।

संलग्न : यथोक्त


(रमेशबाबू अणियेरी)
निदेशक (नीति)
फोन : 2343 8250

अवर सचिव, एन.आई-II अनुभाग, गृह मंत्रालय
मेजर ध्यान चंद नेशनल स्टेडियम
नई दिल्ली-110002

अ.वि.टि.सं. सं.11034/02/2018/रा.भा./नीति

दिनांक : 09 मई, 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. श्री जितेंद्र कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
2. श्री अनीस शेख, उप सचिव, पर्यटन एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुंबई को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।

(जारी पृष्ठ .. २)

3. श्री ए.एस.नारायण, कार्यालय नं.102, पहली मंजिल, प्लॉट सं.19-ए, विशाल कॉम्पलेक्स, पटपड़गंज गांव, उना इंकलेव अपार्टमेंट के सामने, इंटरनेशनल अहलकॉन स्कूल के पास, मयूर विहार फेज-1, दिल्ली-110091
4. श्री हरिभाउ राठौड़, विधान परिषद सदस्य, मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई ।